<u>जनपद न्यायालय, वाराणसी</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर में स्थित कन्फेक्शनरी, चाय, फल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, हार्ड वेयर, भूजा, फोटोग्राफी स्टाल व चश्मा आदि दुकानो/ठेको एवं साईकिल स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 28.03.2018 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच जनपद न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र तथा नियमो एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

(डा अशोक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, वाराणसी

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी अधिसूचना वर्ष 2018–19 के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के परिसर में स्थित दुकानो/स्टालों/ठेकों/साइकिल स्टैण्ड की वर्ष 2018–19 की नीलामी दिनांक 28.03.2018 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 12:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैः–

1– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियो को इससे पूर्व परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, से सम्बन्धित नीलामी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हे इस नीलामी में किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

2– नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/– रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक 26.03.2018 तक प्राप्त किये जा सकते है।

3– नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को सम्बन्धित दुकान/ठेके की स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक 26.03.2018 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

5– नीलामी के उपरान्त प्रत्येक आवंटियों को वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित धनराशि का 25 प्रतिशत दिनांक 28.03.2018 को ही नजारत कार्यालय में जमा करना होगा। शेष धनराशि को दिसम्बर–2018 तक (तीन बराबर किस्तो में जो जून–2018, सितम्बर–2018 तथा अंतिम किस्त दिसम्बर–2018) में भुगतान करना अनिवार्य होगा। नीलामी की ये किस्ते हर त्रैमास शुरू होने के पूर्व ही जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका/आवंटन जिला न्यायाधीश के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

6– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड व किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रो के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगां माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियो में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

8– किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेको की नीलामी राशि वर्ष 2017–18 की नीलामी की राशि की तुलना में इस वर्ष कम स्वीकार नही की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर एक संविदा, जो कि मूल्य सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा तथा आवंटन प्राप्त कर्ता द्वारा स्टाम्प पेपर क्रय किया जायेगा, निष्पादित करनी होगी। संविदा निष्पादित न करने वाले दुकानदार/ठेकेदार को दुकान/ठेका चलाने की अनुमति नही दी जायेगी। आवंटियो को बोली स्वीकृत होते ही स्वयं के नाम क्रय किया हुआ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर नीलामी की तिथि को ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

10– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार अपनी दुकान ठेके में उन्ही वस्तुओ की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी दुकानदार/ठेकेदार को अपने हाकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर सामानो की बिक्री कराये जाने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त प्रतिबंधो का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

11– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपने दुकान/ठेको को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

12– वर्ष 2018–19 के लिये आवंटित दुकानो/ठेको का आवंटन दिनांक 31.03.2019 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियो में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश वाराणसी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्त कर्ता प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा, करता है तो उसे वह अपने व्यय से दिनांक 31.03.2019 तक न्यायालय अवधि के पश्चात उक्त स्थल से हटा लेगा तथा यदि आवंटियो
द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आबंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नही करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका का आबंटन जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13– यदि किसी कारण वर्ष 2018–19 में अथवा उक्त वर्ष के किसी भी अवधि में न्यायालय बन्द रहता है या किसी कारणवश दुकान/ठेका के खुलने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की नही होगी तथा किसी भी न्यायालयी प्रयोजन हेतु दुकान/ठेके के स्थान को उपयोग करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। इसके लिए नीलामी की राशि में कोई छूट नही की जायेगी।

Approved
25.2.18

24/2/18
(डा0 अशोक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, वाराणसी